

परिशिष्ट – I

पहले अध्याय में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा दर्शाने वाला विवरण पत्रा

(संदर्भ कांडिका 1.1 पृष्ठ 1)

भाग क: सरकारी लेखे

I. संरचना : राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि
(ii) आकस्मिक निधि एवं (पप्प) लोक लेखे

भाग १ समेकित निधि

राज्य सरकार के राजस्व, कर्जों एवं कर्जों की वसूलियों से प्राप्त समस्त प्राप्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत निर्मित राज्य की समेकित निधि में रखी जाती हैं। सरकार के समस्त व्यय इस निधि से किये जाते हैं जिसमें से कोई भी राशि राज्य विधायिका के अनुमोदन के बिना आहरित नहीं की जा सकती। इस भाग के दो मुख्य प्रभाग होते हैं जिनके नाम राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय) तथा पूँजीगत लेखा (पूँजीगत प्राप्तियां, पूँजीगत व्यय, लोक ऋण एवं कर्जे आदि) हैं।

भाग II आकस्मिक व्यय निधि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत सृजित आकस्मिक व्यय निधि, तत्काल अनवेक्षित व्यय की पूर्ति के लिये राज्यपाल के अधिकार में रखी गई अग्रदाय प्रकृति की निधि है जिसे राज्य विधायिका से अधिकृत किया जाना लंबित होता है। ऐसे व्यय और समेकित निधि से उतनी ही राशि आकस्मिक व्यय निधि को अन्तरित करने हेतु विधान सभा से बाद में अनुमोदन कराया जाता है। वर्ष के दौरान विधायिका द्वारा प्राधिकृत इस निधि की राशि 40 करोड़ रुपए है।

भाग III लोक लेखा

अल्प बचतों, भविष्य निधियों, जमाओं, आरक्षित निधियों, उचन्त, प्रेषणों आदि की वे प्राप्तियां तथा संवितरण जो समेकित निधि का भाग नहीं होते हैं, उनका लेखाकरण लोक लेखा के अंतर्गत किया जाता है और इन्हें विधानसभा से पारित कराने की आवश्यकता नहीं होती है।

II. वार्षिक लेखे का स्वरूप

राज्य सरकार के लेखे दो खण्डों यथा वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे में तैयार किए जाते हैं। वित्त लेखे सरकारी लेखाओं में उचित वर्गीकरण के अंतर्गत, प्राप्तियों तथा व्यय, दोनों से संबंधित समस्त लेनदेनों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। विनियोग लेखे बजट अनुदानों में राज्य विधानसभा द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक हुए किसी भी व्यय का विधानसभा से नियमन कराया जाना आवश्यक होता है।

परिशिष्ट .I (जारी)
(संदर्भ – कंडिका 1.11 पृष्ठ 1)
भाग–ख देशनाओं/अनुपातों की सूची व उनकी संगणना के आधार

देशनाएँ / अनुपात		संगणना के आधार
पार्षदीयता चालू राजस्व से अधिशेष (बी.सी.आर.)		राजस्व प्राप्तियां (–) समस्त आयोजनागत अनुदान (मुख्य शीर्ष 1601–02, 03,04 के अंतर्गत) तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय एवं मुख्य शीर्ष 2408 राजकोषीय घाटा (–) व्याज भुगतान
प्रारंभिक घाटा		
व्याज अनुपात		व्याज भुगतान (–) व्याज प्राप्तियां
पूंजीगत परिव्यय के विरुद्ध पूंजीगत प्राप्तियां	पूंजीगत परिव्यय	कुल राजस्व प्राप्तियां (–) व्याज प्राप्तियां वित्त लेखे के विवरण पत्रा क्रमांक 2 के अनुसार पूंजीगत व्यय
कुल कर प्राप्तियां विरुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद		आंतरिक कर्जे (निवल अर्थोपाय पेशागियों) (+) अल्प बचतों भविष्य निधियों इत्यादि से निवल प्राप्तियां (+) राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्जों से प्राप्त प्रतिभुगतान (–) राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्जे
राज्य कर प्राप्तियां विरुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद		प्रदर्श V
लचीलापन		
– चालू राजस्व से अधिशेष		उपरोक्तानुसार
– पूंजीगत प्रतिभुगतान विरुद्ध पूंजीगत उधारियां	पूंजीगत प्रतिभुगतान	मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004 के अंतर्गत संवितरण (–) दोनों मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अर्थोपाय पेशागियां/अधिविकर्ष के कारण प्रतिभुगतान
कुल कर प्राप्तियां विरुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद	पूंजीगत उधारियां	मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004 के अंतर्गत वृद्धि (–) दोनों ही मुख्यशीर्षों के अंतर्गत अर्थोपाय पेशागियां/अधिविकर्ष की वृद्धि
राज्य कर प्राप्तियां	राज्य कर प्राप्तियां	प्रदर्श V
कुल कर प्राप्तियां	कुल कर, प्राप्तियां	वित्त लेखे का विवरण पत्रा – 1
ऋण विरुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद	ऋण	वर्ष के अन्त में उधारियां एवं अन्य दायित्व (वित्त लेखे का विवरण पत्रा – 4) प्रदर्श V

भेदता		
— राजस्व घाटा		राजस्व व्यय (-) राजस्व प्राप्तियां, कुल व्यय (-) राजस्व प्राप्तियां एवं ऋणेतर सार्वजनिक प्राप्तियां लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कठिका 1.9.6
— राजकोषीय घाटा		राजकोषीय घाटा (-) व्याज भुगतान
— प्रारंभिक घाटा विरुद्ध राजकोषीय घाटा	प्रारंभिक घाटा	बकाया गारंटियां प्रदर्श – IV
— समाश्वासन पत्रा सहित कुल बकाया गारंटियां विरुद्ध सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां	बकाया गारंटियां	प्रदर्श – II
— परिसंपत्तियां विरुद्ध देयताएं	राजस्व प्राप्तियां परिसंपत्तियां एवं देयताएं	प्रदर्श – I

परिशिष्ट-I क
(संदर्भ कॉडिका 1.1, पृष्ठ 1)

पूर्ववर्ती संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की 31 मार्च 2002 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शानेवाला विवरण पत्र

(करोड़ रुपए में)

मर्दें	31 अक्टूबर 2000 को शेष	विभाजन		मध्यप्रदेश के लेखाओं में लिखित विभाजन में रोककर रखा गया शेष	वित्त लेखा विवरण पत्रा संदर्भ
		मध्यप्रदेश के लिये	छत्तीसगढ़ के लिये		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I- देयताएँ					
1. आंतरिक ऋण	7628.95	5766.01 ^(क)	1862.94 ^(क)	..	4 एवं 17
2. केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेशगियां	10606.50	7783.25 ^(क)	2823.25 ^(क)	..	4 एवं 17
3. आकस्मिकता निधि	26.61	26.61	16
4. लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	7371.51	4840.27 ^(छ)	974.52 ^(छ)	1556.72 ^(छ)	4, 16 एवं 17
5. जमाएं	1872.19	1325.09	288.60	258.50 ^(छ)	4 एवं 16
6. आरक्षित निधियां	657.94 ^(छ)	45.49	11.55	102.46 ^(छ)	4 एवं 16
7. उचंत एवं विविध शेष	39.58	25.46	5.93	8.19 ^(छ)	16
II- परिसंपत्तियां					
1. सकल पंजीगत परियाय	15760.57	4941.77	1484.59	9334.21 ^(छ)	2 एवं 13
2. कर्जे एवं पेशगियां	2883.18	555.95	135.91	2191.32 ^(छ)	5 एवं 18
3. अधिम	13.88	12.25	1.63	..	16
4. प्रेषण शेष	665.60	512.72	152.88	..	16
5. रोकड़ शेष	-29.75	22.29	-52.04	..	7
III- आकस्मिक देयताएँ					
गारंटीयां	9709.60	--	--	9657.38 ^(छ)	6

टिप्पणी: और अधिक विवरणों हेतु वित्त लेखे (वर्ष 2000–01)देखें।

- (क) भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग (बजट अनुभाग) के आदेश एफ. क्र. 9 (2) बी (एस) / 2002 दिनांक 25 जून 2002 से विभाजित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभाजित अर्थोपाय पेशगियां एवं अधिविकर्ष समाविष्ट हैं।
- (ख) दो उत्तराधिकारी राज्यों को कर्मचारियों के अंतिम आबंटन के विवरणों की प्राप्ति के उपरांत समीक्षा की जावेगी।
- (ग) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 42 (प) के दूसरे परंतुक के रूप में कुल 657.94 करोड़ रुपए में से 498.44 करोड़ रुपए कम किए गए।
- (घ) भारत सरकार का निर्णय लिखित होने के कारण मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।
- (ङ) विवरणों के अभाव में मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।
- (च) उत्तराधिकारी राज्यों से निर्णयों/विवरणों की प्राप्ति न होने के कारण मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।
- (छ) वर्ष 2001–02 में ग्यारंटीयों के निरस्त होने की वजह से कॉलम (2) के आंकड़ों में रु. 52.22 करोड़ का अन्तर।

परिशिष्ट - II

(पृष्ठ 18 पर प्रदर्श V के संदर्भ में)

छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय निष्पादन देशनाओं का कार्य पत्रक

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मर्दे		2000-2001	2001-2002
1. क	राजस्व प्राप्तियां	1883	4376	
ख	(-)आयोजनागत अनुदान (मुख्यशीर्ष 02,03,04,05)	226	303	
ग	(-)आयोजनेतर राजस्व व्यय	1314	3928	
घ	मुख्यशीर्ष 2048 ऋणों के परिहार अथवा कम करने हेतु विनियोजन	-	40	
ङ	चालू राजस्व से निवल शेष(बी.सी.आर.) [क-(ख + ग+घ)]	343	105	
2. क	ब्याज प्राप्तियां (0049)	03	49	
ख	ब्याज भुगतान (2049)	286	731	
ग	निवल भुगतान योग्य ब्याज (ख-क)	283	682	
घ	राजस्व प्राप्तियां - ब्याज प्राप्तियां	1880	4327	
ङ	ब्याज अनुपात (2ग ÷ 2घ)	0.15	0.16	
3.	पूंजीगत परिव्यय (पूंजीगत व्यय)	221	476	
4.	पूंजीगत प्राप्तियां			
क.	मुख्य शीर्ष 6003 के अंतर्गत बृद्धि (आंतरिक कर्जे (-)अधोपाय पेशगियां)	206	654	
ख	मुख्यशीर्ष 6004 के अंतर्गत बृद्धि (केन्द्र सरकार से कर्जे)	142	341	
ग	अल्प बचत , भविष्य निधियां आदि के अंतर्गत निवल प्राप्तियां	50	85	
घ	कर्जों एवं अग्रिमों में निवल बृद्धि	(-)02	(-)46	
ङ	विविध पूंजीगत प्राप्तियां (4000)	-	-	
च	योग (क+ ख + ग+ घ+ ङ)	396	1034	
5.	पूंजीगत परिव्यय / पूंजीगत प्राप्तियां (3÷4)	0.558	0.460	
6.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	10782	30265	
7.	कुल कर प्राप्तियां (राज्य कर + केंद्रीय करों में राज्यांश)	1260	3169	
8.	कुल कर प्राप्तियां / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.12	0.10	
9.	राज्य कर प्राप्तियां (कर राजस्व - आयकर)	750	1993	
10.	राज्य कर प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (9÷6)	0.07	0.07	
11.	कुल निवेश	(-)02	15	

(करोड रुपये में)

क्रं.सं.	मर्दे	2000-2001	2001-2002	
12.	निवेश पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	निरंक	33	
13.	निवेश पर प्रतिलाभ का अनुपात	निरंक	0.3	
14.	पूंजीगत प्रति भुगतान			
	क.	मुख्य शीर्ष 6003 के अंतर्गत संवितरण (आंतरिक कर्ज (-)अर्थोपाय पेशगियां)	19	45
	ख	6004(केन्द्र सरकार से कर्ज एवं पेशगियां)	62	139
	ग	योग (क-ख)	81	184
15.	पूंजीगत उधारियां (6003 + 6004)	348	995	
16.	पूंजीगत प्रतिभुगतान/ पूंजीगत उधारियां	0.23	0.18	
17.	ऋण	-	7463	
	(i)	वर्ष के अंत में उधारियां (प्राप्तियां)	4844	5655
	(ii)	वर्ष के अंत में अन्य दायित्व (प्राप्तियां)	1411	1808
	(iii)	योग (1)+(2)	6255	7463
18.	ऋण /सकल राज्य घरेलू उत्पाद (17(iii)÷6)	0.58	0.25	
19.	राजस्व घाटा	(-)273	569	
20.	राजकोषीय घाटा (राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल कर्ज एवं पेशगियां +अंतर्राज्यीय व्यवस्थापन) -(राजस्व प्राप्तियां + विविध पूंजीगत प्राप्तियां + अंतर्राज्यीय व्यवस्थापन)	(-)50	1117	
21.	प्राथमिक घाटा (राजकोषीय घाटा - भुगतान योग्य ब्याज (20-2b)	236	386	
22.	प्राथमिक घाटा/राजकोषीय घाटा (21÷20)	(-)4.72	0.34	
23.	राजस्व घाटा - राजकोषीय घाटा (19÷20)	(-)0.05	0.50	
24.	लंबित गांरटियां+ब्याज	-	466	
25.	लंबित गांरटियां/ राजस्व प्राप्तियां	-	0.11	
26.	परिसंपत्तियां	2231	2842	
27.	देयताएं	6202	7421	
28.	परिसंपत्तियां/देयताएं (26÷27)	0.36	0.38	

परिशिष्ट - III
(संदर्भ- कंडिका 2.3.3 पृष्ठ 25)
प्रकरण जिनमें अनुप्रक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग का विवरण एवं संख्या	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	वार्तविक व्यय	बचत
1.	2	3	4	5	6
	कर-राजस्व-दत्तमत				
1.	01-सामान्य प्रशासन	31.85	4.71	23.95	12.61
2.	03-पुलिस	289.01	0.10	244.63	44.48
3.	04-गृहविभाग से संबंधित अन्य व्यय	2.36	0.01	1.07	1.30
4.	05-जेल	18.91	0.25	16.59	2.57
5.	08-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	104.32	0.81	77.17	27.96
6.	10 वन	249.07	9.75	233.83	24.99
7.	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	79.19	8.61	73.44	14.36
8.	15-अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	21.41	5.18	19.37	7.22
9.	18 श्रम	7.64	0.71	6.35	2.00
10.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	183.79	4.96	158.75	30.00
11.	25-खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	6.42	0.34	6.00	0.76
12.	27-शालेय शिक्षा	739.85	54.36	537.06	257.15
13.	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	30.73	2.66	18.71	14.68
14.	31- योजना आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	5.73	0.29	4.92	1.10
15.	32-जन संपर्क विभाग से संबंधित व्यय	13.00	0.23	8.97	4.26
16.	36-परिवहन	8.48	1.02	4.80	4.70
17.	39-खाद्य ,नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	24.82	2.14	23.31	3.65

क्रमशः

(करोड़ रूपये में)

1.	2	3	4	5	6
18.	44-उच्च शिक्षा	84.99	5.30	79.28	11.01
19.	47-तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन विभाग	52.48	1.02	32.05	21.45
20.	48-11वें वित्त आयोग के अधीन प्रशासन के उन्नयन के लिए अनुदान	13.09	2.64	9.27	6.46
21.	52-कृषि विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	0.17	0.11	0.05	0.23
22.	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	119.71	2.67	73.04	49.34
23.	58-प्राकृतिक आपदाओं तथा सूखा राहत पर व्यय	138.41	2.88	115.31	25.98
24.	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना	82.58	15.48	80.14	17.92
25.	66-पिछड़े वर्गों का कल्याण	15.92	0.16	14.22	1.86
26.	69-शहरी प्रशासन विकास विभाग शहरी कल्याण	4.49	0.19	2.04	2.64
27.	78-ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	8.29	0.38	4.03	4.64
28	79-चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	35.44	5.41	34.30	6.55
	योग -(क)	2372.15	132.37	1902.65	601.87

कमशः

1.	2	3	4	5	6
	(ख) राजस्व -प्रभारित				
1.	भुगतान योग्य व्याज	886.28	35.15	771.29	150.14
2.	01-सामान्य प्रशासन	2.05	0.87	1.69	1.23
3.	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	3.75	0.38	2.60	1.53
	योग (ख)	892.08	36.40	775.58	152.90
	ग-पूंजीगत दत्तमत				
1.	10-वन	2.27	0.10	2.16	0.21
2.	11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	1.15	0.15	1.02	0.28
3.	23-जल संसाधन विभाग	114.20	0.25	110.67	3.78
4.	24-लोक निर्माण कार्य सङ्कर तथा पुल	63.69	16.22	42.26	37.65
5.	41-जनजाति क्षेत्र उपयोजना	94.31	11.68	90.28	15.71
6.	48-11 वें वित्त आयोग के अधीन प्रशासन के उन्नयन के लिये अनुदान	14.37	4.13	11.50	7.00
7.	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना	25.41	10.31	16.31	19.41
8.	67-लोक निर्माण कार्य भवन	31.59	3.27	28.66	6.20
9.	68-जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य भवन	8.25	0.10	7.22	1.13
	योग (ग)	355.24	46.21	310.08	91.37
	घ-पूंजीगत प्रभारित				
1.	लोकऋण	1388.53	0.01	184.02	1204.52
	योग (घ)	1388.53	0.01	184.02	1204.52
	महायोग (क) + (ख) + (ग) + (घ)	5008.00	214.99	3172.33	2050.66

परिशिष्ट - IV
(संदर्भ - कंडिका 2.3.4. पृष्ठ 25)
प्रकरण जिनमें प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं विवरण	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(क)	राजस्व (दत्तमत)				
1.	02-सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	1.83	0.71	2.25	0.29
2.	07-वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	44.34	45.19	55.85	33.68
3.	11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	6.69	6.70	12.20	1.19
4.	13-कृषि	66.98	52.97	103.23	16.72
5.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	101.25	23.46	117.19	7.52
6.	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	4.71	7.29	5.88	6.12
7.	26-सांस्कृतिक विभाग से संबंधित व्यय	1.61	1.71	2.84	0.48
8.	28-राज्य विधायिका	6.90	2.11	7.46	1.55
9.	34-समाज कल्याण	6.19	0.26	6.20	0.25
10.	37-पर्यटन	-	0.98	0.53	0.45
11.	41-जनजाति क्षेत्र उपयोजना	180.38	45.35	211.89	13.84
12.	53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना के अधीन शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	0.71	1.89	1.11	1.49
13.	56-ग्रामोद्योग	7.83	3.10	10.04	0.89
14.	65-विमानन विभाग	2.93	0.61	3.41	0.13

कमश:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
15.	80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	191.36	40.10	202.24	29.22
16.	81-शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	129.70	30.08	155.00	4.78
17.	82-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	72.31	13.92	74.33	11.90
	योग (क)	825.72	276.43	971.65	130.50
(ख)	पूँजीगत (दत्तमत)				
1.	17-सहकारिता	22.57	9.26	23.97	7.86
2.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	1.76	10.00	10.59	1.17
3	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	2.56	55.43	49.36	8.63
4.	42-जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित निर्माण कार्य - सड़क तथा पुल	26.99	21.13	40.38	7.74
5.	45-लद्दु सिचाई निर्माण कार्य	14.66	11.07	23.76	1.97
	योग (ख)	68.54	106.89	148.06	27.37
	महायोग (क) + (ख)	894.26	383.32	1119.71	157.87

परिशिष्ट – V
(संदर्भ : कांडिका 2.3.5 पृष्ठ 25)
अनुदान/विनियोग जिनमें अधिक्य के नियमन की आवश्यकता है

(लपये में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या व नाम	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक्य की राशि	मुख्य कारण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
क	राजस्व (दत्तमत)				
1.	06—वित्त विभाग से संबंधित व्यय	4510173000	4657907933	147734933	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
2.	14—पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	453630000	473129522	19499522	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
3.	17—सहकारिता	87229000	90185473	2956473	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
4.	23—जल संसाधन विभाग	790649000	801968820	11319820	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
5.	24—लोक निर्माण कार्य सङ्क एवं पुल	1083739000	1310102110	226363110	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
6.	30—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	1451375100	1494505450	43130350	भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय अंश के अनुसार राज्यांश उपलब्ध कराने हेतु
7.	33—जनजाति कल्याण	2755393000	3396371424	640978424	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
8.	45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य	93068000	93197796	129796	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
9.	54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	150001000	155795000	5794000	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
10.	67—लोक निर्माण कार्य भवन	663189000	718213351	55024351	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
11.	83—जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अधीन शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	33940000	38369000	4429000	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
	योग (क)	12072386100	13229745879	1157359779	

क्रमांक:

ख	राजस्व (प्रभारित)				
1.	16—मछलीपालन	100000	204587	104587	सूचित नहीं किये गये (जनवरी 2003)
2.	25—खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	50000	62430	12430	सूचित नहीं किये गये (जनवरी 2003)
	योग (ख)	150000	267017	117017	
ग	पूंजीगत (दत्तमत)				
1.	15—अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4675000	4887944	212944	सूचित नहीं किये गये (जनवरी 2003)
2.	60—जिला आयोजनागत योजनाओं से संबंधित व्यय	94000000	95183884	1183884	सूचित नहीं किये गये (जनवरी 2003)
3.	71—पशुपालन विभाग से संबंधित परियोजना जिन्हें विदेशी सहायता प्राप्त है	20000	151377	131377	सूचित नहीं किये गये (जनवरी 2003)
	योग (ग)	98669500	100223205	1528205	
	महायोग (क)+(ख)+(ग)	12171231100	13330236101	1159005001	

परिशिष्ट – VI

(संदर्भ : कांडिका 2.3.6 पृष्ठ 25)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं विवरण	अनुपूरक प्रावधान	अंतिम अधिक्य
1.	2.	3.	4.
	(क)–राजस्व (दत्तमत)		
1.	06—वित्त विभाग से संबंधित व्यय	0.09	14.77
2.	14—पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	5.75	1.95
3.	17—सहकारिता	2.10	0.30
4.	23—जल संसाधन विभाग	1.63	1.13
5.	24—लोकनिर्माण कार्य सङ्क एवं पुल	30.00	22.64
6.	30—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	90.75	4.31
7.	54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	1.00	0.58
8.	67—लोक निर्माण कार्य भवन	0.04	5.50
9.	83—जनजाति क्षेत्र उपयोजना शहरी निकायों को आर्थिक सहायता	0.69	0.44
	योग (क)	132.05	51.62
	(ख) पूंजीगत (दत्तमत)		
1.	60—जिला आयोजनागत योजनाओं से संबंधित व्यय	0.20	0.12
	योग (ख)	0.20	0.12
	महायोग (क) + (ख)	132.25	51.74

परिशिष्ट – VII

(संदर्भ : कांडिका 2.3.7 पृष्ठ 25)

वे प्रकरण जिनमें व्यय 1 करोड़ रुपये से अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक से भी कम रहा

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का विवरण	बचत की राशि (प्रावधान का प्रतिशत)	बचत के मुख्य कारण
1.	2.	3.	4.	5.
(क) राजस्व (दत्तमत)				
1.	01	सामान्य प्रशासन	12.61 (34.5)	विधान सभा सत्र, मितव्यीता उपाय नवगठित राज्य के लिये कर्मचारियों का अपूर्ण विभाजन, वाहन क्य न करना कम यात्राएँ होना, स्पिलिट एयर कंडिशनर क्य न होना, राज्य में स्टाफ द्वारा कार्यभार ग्रहण न करना, मंत्रियों को वेतन पर्चियों जारी न होना एवं पुनर्भाडा आवास अधिगृहण न होना (7.80 करोड़ रुपये), शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)।
2.	03	पुलिस	44.48 (15.4)	नगर सेनाकों के रिक्त पदों को भरने हेतू स्वीकृति प्राप्त न होना एवं मितव्यिता उपाय अपनाना (2.56 करोड़ रुपये) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)।
3.	04	गृह विभाग से संबंधित व्यय	1.29 (54.7)	पदों का सूजन न होना (0.38 करोड़ रुपये) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)।
4.	05	जेल	2.57 (13.4)	खाली पदों को न भरना, मितव्यिता उपाय (0.67 करोड़ रुपये) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)।
5.	07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	33.68 (37.6)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
6.	08	भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	27.96 (26.6)	पद रिक्त रहे, मितव्यिता उपाय, मशीनरी एवं उपकरणों की मॉग प्राप्त न होना, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निधियों जारी न किया जाना, अधीनस्थ कार्यालयों से मॉग प्राप्त न होना, मानदेय भुगतान न होना, वाहन क्य न होना (24.39 करोड़ रुपये), शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)।
7.	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	10.08 (81.9)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)।
8.	12	उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	14.36 (16.4)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
9.	13	कृषि	16.72 (13.9)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
10.	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	7.22 (27.2)	जिलों से निधियों का समर्पण, मॉग प्राप्त न होना (1.42 करोड़ रुपये), शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)।
11.	18	श्रम	2.00 (23.9)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
12.	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	30.00 (15.9)	पद रिक्त रहे (2.07 करोड़ रुपये), शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)।
13.	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	6.12 (50.9)	राज्य सरकार द्वारा गृह निर्माण मण्डल का गठन न करना (1.06 करोड़ रुपये), पुनर्गठन के कारण अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करना (0.19 करोड़ रुपये), शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)।
14.	27	शालेय शिक्षा	257.15 (32.4)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
15.	28	राज्य विधायिका	1.55 (17.2)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
16.	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	14.69 (44.0)	नियुक्त सदस्यों को मानदेय का भुगतान न होना, वाहन क्य न होना, रिक्त पदों का न भरा जाना, त्यौहार अग्रिम प्राप्त न होना, कर्मचारियों द्वारा यात्रा देयक प्रस्तुत न किया जाना, फर्नीचर क्य न करना, कार्यालय भवनों के लिंगित देयकों/किराये का भुगतान न होना एवं वाहन क्य न करना/उनका किराया (8.96 करोड़ रुपये)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)।
17.	31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	1.09 (18.2)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
18.	32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	4.26 (32.2)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
19.	36	परिवहन	4.70 (49.5)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
20.	39	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संक्षण विभाग से संबंधित व्यय	3.65 (13.5)	किसानों को बोनस की घोषणा न करना, वित्त विभाग द्वारा धनराशि स्वीकृत न किया जाना (1.52 करोड़ रुपये) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)।

31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1.	2.	3.	4.	5.
21.	44	उच्च शिक्षा	11.01 (12.2)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
22.	47	तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति योजना विभाग	21.45 (40.1)	तकनीकी संस्थाओं में रिक्त पद न भरे जाना (7.68 करोड़ रुपये)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
23.	48	11 वें वित्त आयोग के अधीन प्रशासन के उन्नयन के लिये अनुदान	6.46 (41.0)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
24.	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2.57 (16.4)	जिलों से मांग प्राप्त न होना, जिलों से निधियों का समर्पण (करोड़ रुपये)।
25.	53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना के अधीन शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	1.49 (57.2)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
26.	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	49.34 (40.3)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
27.	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा राहत से संबंधित व्यय	25.98 (18.4)	मांग प्राप्त न होना (11.70 करोड़ रुपये) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)।
28.	61	विदेशी सहायता प्राप्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित परियोजनाएँ	2.98 (84.9)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)।
29.	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना	17.92 (18.3)	योजना के लिए पूर्ण केन्द्र अंश प्राप्त न होना जिलों से मांग प्राप्त न होना, धनराशियों संस्थीकृति न होना, विशेष केन्द्र सहायता की शेष धनराशि प्राप्त न होना, कार्य योजना पर संस्थीकृति प्राप्त न होना (4.79 करोड़ रुपये)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
30.	66	पिछड़े वर्गों का कल्याण	1.86 (11.5)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
31.	69	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	2.64 (56.3)	पुनर्गठित राज्य के कारण कर्मचारियों का पूर्ण/अंतिम आवंटन न होना।
32.	77	बिलासपुर संभाग में जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	8.00 (100)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
33.	78	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायतास प्राप्त परियोजनाएँ	4.64 (53.5)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
34.	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	6.55 (16.00)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
35.	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक सहायता	29.22 (12.6)	धनराशि वितरण की संस्थीकृति सरकार से प्राप्त न होना (0.99 करोड़ रुपये) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)।
36.	82	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	11.90 (13.8)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
	ख	राजस्व (प्रभारित)		
37.	—	ब्याज भुगतान तथा सेवा का ऋण	150.14 (16.3)	मध्य प्रदेश राज्य से निक्षेप लेखा स्थानान्तरण न होना (0.22 करोड़ रुपये) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)।
38.	01	सामान्य प्रशासन	1.23 (42.1)	पद रिक्त रहना, अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति न होना, निधि आहरण न होना (0.74 करोड़ रुपये) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)।
39.	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	1.53 (37)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
	ग—	पंजीगत (दत्तमत)		
40.	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	7.11 (55.4)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
41.	08	भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2.62 (70.2)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
42.	12	उजा विभाग से संबंधित व्यय	14.87 (74.4)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)

1.	2.	3.	4.	5.
43.	17	सहकारिता	7.86 (24.7)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
44.	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	8.63 (14.9)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
45.	24	लोक निर्माण कार्य सड़क एवं पुल	37.65 (47.1)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
46.	30	पश्चायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	105.64 (96.0)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
47.	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	8.43 (84.3)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
48.	41	जनजाति क्षेत्र उपयोजना	15.72 (14.8)	हसदेव कछार में मध्यम योजनाएँ संस्थीकृत न होना
49.	42	जनजाति क्षेत्र उपयोजना सड़क एवं पुल से संबंधित लोक निर्माण कार्य	7.74 (16.1)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
50.	48	11 वें वित्त आयोग के अधीन प्रशासन के उन्नयन के लिए अनुदान	7.00 (37.8)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
51.	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	2.06 (38.3)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
52.	58	प्राकृतिक आपदाएँ एवं सुखा राहत पर किया गया व्यय	1.60 (95.6)	मांग प्राप्त न होना
53.	64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना	19.41 (54.3)	प्रशासनिक संस्थीकृति प्राप्त न होना (4.43 करोड़ रुपये) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
54.	67	लोक निर्माण कार्य भवन	6.20 (17.8)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
55.	68	जनजाति क्षेत्र उपयोजना भवनों से संबंधित लोक निर्माण कार्य	1.13 (13.6)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
56.	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड़ से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	12.85 (40.8)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
57.	76	लोक निर्माण कार्य विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	2.26 (100)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
58.	81	शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	8.51 (79.1)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)
घ		पुंजीगत (प्रभारित)		
59.	—	लोक ऋण	1204.52	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002)

परिशिष्ट -VIII

(संदर्भ :— कांडिका 2.3.7(ख), पृष्ठ 26)

वे प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अधीन सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं क्रमांक		लेखा शीर्ष	अप्रयुक्त बजट प्रावधान
1.	2.	3.	4.	
	क— केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ			
1.	12	उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2801—80—101—0701—4841 उर्जा विकास विभाग की तात्कालिक अनुदान सहायता परियोजना	20.00
2.	27	शालेय शिक्षा	2202—01—101—0701—7587 श्याम पट योजना का संचालन	14.70
3.	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	2202—02—103—0701—1131 अनौपचारिक शिक्षा केंद्र (90+10)	1.09
4.	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202—02—103—0701—5303 अनौपचारिक शिक्षा केंद्र (60+40) एस.सी.आर.टी.	1.79
			कुल — 'क'	37.58
	ख— केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएँ			
5.	19	लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	2210—06—800—0801—1801 टी.सी.ए. कार्यक्रम के तहत सहायता तथा सामग्री	3.56
6.	19	लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	2211—800—0801—2498 परम्परागत गर्भ निरोधकों की आपूर्ति	5.86
7.	19	लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	2211—800—0801—6106 विश्वव्यापी प्रतिरक्षण	12.18
8.	19	लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	3606—237—0801—2498 परम्परागत गर्भ निरोधकों की आपूर्ति	5.71
9.	19	लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	3606—237—0801—4244 मलेरिया	9.95
10.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215—01—102—0801—4851— प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	7.44
11.	21	आवास तथा पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	2217—05—091—0801—9769 विश्व बैंक योजना के अंतर्गत गृह निर्माण मण्डल द्वारा आवास निर्माण के लिए अनुदान	1.06
12.	41 25	जनजाति क्षेत्र उपयोजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225—02—796—277—0802—5232 एम.एस. आवासीय शाला समिति को अनुदान (अधिनियम 275 (1))	10.80
13.	41 34	जनजाति क्षेत्र उपयोजना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215—01—796—102—0802—4851 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	4.46
14.	61	लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण से संबंधित बाहरी सहायता	2210—05—105—0801—8132	1.94
15.	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष योजना	2215—01—789—102—0803—4851 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	1.62
	34	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	कुल — 'ख'	64.58
			कुल—'क' + 'ख'	102.16

परिशिष्ट –IX

(संदर्भ :— कडिका 2.3.8 (क), पृष्ठ 26)

योजना के अधीन सारभूत अधिक्य वाले प्रकरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अधिक्य की राशि	आधिक्य का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.
	क – राजस्व – दत्तमत			
1.	07 वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यय	2039–001–1470–जिला कार्यपालक स्थापना	11.55	151
2.	10 वन	2055–104–3895 वन सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस	6.51	842
3.	13 कृषि	2401–001–119 अधीनस्थ एवं कुशल स्टाफ (जिला एवं सहायक स्तर)	16.76	117
4.	19 लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	2210–03–103–0101–2777 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (आधार भूत सेवाएं)	22.30	115
5.	20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215–01–799–4058 विविध लोक कार्य अग्रिम	5.04	252
6.	20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215–01–800–0101 राज्य योजना (सामान्य) 9938 भूजल स्रोतों का पुनःशक्तिकरण	5.96	1489
7.	24 लोक निर्माण –सड़क एवं पुल	3054–80–001–2301 निर्देशन एवं प्रशासन अनुदान संख्या 67 मुख्य शीर्ष 2059 लोक निर्माण से अंतरित स्थापना का अनुपातिक अंश	18.13	363
8.	30 पंचायत तथा ग्रामीण विभाग से संबंधित व्यय	2501–01–101–0701–5078 सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	5.98	313
9.	41 जनजाति क्षेत्र आयोजना 14 कृषि विभाग	2401–796–001–0102–4102 विश्व बैंक सहायता प्राप्त गहन विस्तार परियोजना (द्वितीय चरण)	6.59	239
10.	41 जनजाति क्षेत्र उपयोजना 17 लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	2210–03–796–103–0102–2779 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	6.31	197
11.	64 अनुसूचित जाति के लिए विशेष धटक योजना 02 गृह विभाग	2055–789–109–0703–5172 नये पुलिस स्टेशन की स्थापना	6.16	422
		कुल – “क”	111.29	
	ख – पूँजीगत (दत्तमत)			
12.	23 जल संसाधन विभाग	4701–1–244–0101–2898 बांध एवं संलग्न कार्य	10.37	691
13.	41 जनजाति क्षेत्र उपयोजना 31 जल संसाधन विभाग	4702–796–800–0102–5189 लघु सिंचाई योजना का निर्माण (नावाड़)	16.43	222
		कुल – “ख”	26.80	
		कुल – ‘क’ + ‘ख’	138.09	

परिशिष्ट- X
(संदर्भ - कंडिका 2.3.8(ख) पृष्ठ 26)
योजनाओं के अधीन सारभूत बचत वाले प्रकरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम	बचत की राशि	बचत की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
(क)	राजस्व-दत्तमत			
1.	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2070-800-224-अन्य व्यय	143.99	99-9
2.	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071-01-101-2413- सेवानिवृत वेतन भोगी व्यक्तियों को भुगतान योग्य	207.74	99-5
3.	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071-01-102-3080 भारत में पेंशन के परिवर्तित मूल्य का भुगतान	24.48	100
4.	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071-01-104-4590सेवा एवं मृत्यु सह सेवा उपदान	48.01	99-9
5.	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071-01-105-2514 परिवार पेंशन	14.38	99-7
6.	09-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	2058-101-3842 रेटेशनरी एवं स्टोर के शाखा कार्यालय	8.67	99-2
7.	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2801-80-101-0701-4841 तात्काणिक ऊर्जा विकास परियोजनाओं को अनुदान सहायता	20.00	100
8.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-2498 पारंपरागत गर्भ निरोधकों की आपूर्ति	5.86	100
9.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-6106 विश्वव्यापी टीकाकरण	12.18	100
10.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-2498 परम्परागत गर्भ निरोधकों की आपूर्ति	5.71	100
11.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-4244 मलेरिया	9.95	100
12.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-01-102-0801-4851 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	7.44	100
13.	27-शालेय शिक्षा	2202-01-101-0701-7587 श्यामपट योजना का संचालन	14.70	100
14.	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	2015-105-4311संसद/विधान सभा के निर्वाचन हेतु प्रभार/व्यय	6.54	100
15.	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2501-02-800-0701-9464 वाटर शेड उपचार/विकास गतिविधियां	5.00	98-7

1	2	3	4	5
16.	41-जनजाति क्षेत्र उपयोजना 14-कृषि विभाग	2401-796-108-0702- 4838 माइक्रो प्रबंध कार्य योजना	7-36	94-4
17.	41-जनजाति क्षेत्र उपयोजना 25-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225-02-796-277- 0802-5232 एम.एस. आवासीय स्कूल समिति को अनुदान (अधिनियम 275 (र))	10-80	100
18.	44-उच्चतर शिक्षा	2202-03-001-0101- 3443 महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय	5-92	91-2
19.	58-प्राकृतिक आपदाएं एवं सूखा राहत पर व्यय	3054-04-337-1467 जिला एवं अन्य सड़कें	6-32	99-4
20.	77-बिलासपुर संभाग में जनजाति क्षेत्रों के विकास से संबंधित व्यय सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2225-02-796-102- 1202-8762 अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से सहायता के अधीन जनजातीय विकास समितियों को सहायता	8-00	100
		योग - क	573-06	
ख	राजस्व प्रभारित			
21.	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	2049-60-701-4198 शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत कोष पर ब्याज)	25-12	100
		योग - ख	25-12	
ग-	पूंजीगत दत्तमत			
22.	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	4515-800-0801-4855 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	105-59	96
23.	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	6408-02-190-1074 खाद्यान्नों के अर्जन में क्षति की पूर्ति हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को ऋण	7-00	100
24.	41-जनजाति क्षेत्र उपयोजना 31-जलसंरक्षण विभाग	4701-03-796-800- 0102-5188 मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण (नाबाड़)	17-34	85-6
		योग - ग	129-93	
घ-	पूंजीगत प्रभारित			
25.	लोक ऋण	6003-110-637 अर्थोपाय अग्रिम	700-00	100
26.	लोक ऋण	6003-110-779 कमी को पूरा करने हेतु ऋण	500-00	100
		योग- घ	1200-00	
महायोग (क+ख+ग+घ)			1928.11	

परिशिष्ट-XI

(पृष्ठ 26 पर कंडिका 2.3.9 में संदर्भित)

अधिकारीकर्पूर्ण / अनियमित / दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन / अभ्यर्पण

(अ) कुछ प्रकरण जिनमें पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण के माध्यम से निधियों का अधिकारीकर्पूर्ण ढंग से प्रत्याहरण किया गया यद्यपि लेखाओं में पहले से ही अधिक व्यय दर्शाया गया था, का उल्लेख नीचे किया गया है :-

(करोड़ रुपये में)

संक्र.	मांग संख्या तथा लेखाधीर्ष	मूल+पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग से पूर्व अधिक्य	पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण	अन्तिम आधिक्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	07—वाणिज्यकर विभाग से संबंधित व्यय 2040—001—3569 मुख्यालय स्थापना व्यय	3.37	4.88	1.51	(-) 2.42	3.93
2.	08—भू राजस्व तथा जिला प्रषासन 2029—102—2833 पूर्वनुमान अधिकारी एवं बंदोबस्त अधिकारी का कार्यालय	9.68	11.50	1.82	(-) 1.29	3.11
3.	32—जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय 2220—01—001—0101—2320—निदेशन तथा प्रषासन	5.93	6.17	0.24	(-) 1.09	1.33
4.	33—जनजाति कल्याण 2225—02—277—0101—1395—छात्र शास्त्र	21.12	24.91	3.79	(-) 1.48	5.27
5.	33—जनजाति कल्याण 2225—02—277—2772 प्राथमिक विद्यालय	86.67	130.75	44.08	(-) 1.16	45.24
6.	33—जनजाति कल्याण 2225—02—277—583 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	39.56	62.02	22.46	(-) 1.39	23.85
7.	41—जनजाति क्षेत्र उपयोजना 25—अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 2225—02—796—277—0102—581—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	19.46	24.22	4.76	(-) 2.85	7.61
8.	58—प्राकृतिक आपदाओं तथा सूखा राहत पर व्यय 2215—01—102—4377—सूखाराहत क्षेत्रों में जलप्रदाय	1.75	4.81	3.06	(-) 1.75	4.81
9.	58—प्राकृतिक आपदाओं तथा सूखाराहत पर व्यय 2245—02—122—989 क्षतिग्रस्त सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों की मरम्मत तथा पुनर्स्थापन	1.25	2.28	1.03	(-) 1.25	2.28
10	58—प्राकृतिक आपदाओं तथा सूखाराहत पर व्यय 2245—01—101—96 अग्नि फैलाव से राहत	2.70	5.31	2.61	(-) 2.70	5.31

(ब) कुछ प्रकरण जिनमें निधियों का उपलब्ध बचत से अधिक पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण द्वारा प्रत्याहरण किया गया, परिणामस्वरूप अंतिम आधिक्य का उल्लेख निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपयों में)						
संक्ष.	मांग संख्या तथा लेखा शीर्ष	मूल + पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग /अभ्यर्पण	अंतिम आधिक्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	05—जैल 2056—101—938 केन्द्रीय तथा जिला जैल	17.77	16.16	1.61	(-) 2.54	0.93
2.	30—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय 2501—01—001—0701—8775 जिला स्तर पर प्रशासनिक योजना	2.62	0.87	1.75	(-) 1.77	0.02
3.	30—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय 2505—01—702—0701—6503 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	69.69	67.77	1.92	(-) 4.83	2.91
4.	33—जनजाति कल्याण 2225—02—001—1483 जिला प्रशासन	6.30	5.61	0.69	(-) 1.46	0.77
5.	33—जनजाति कल्याण 2225—02—277—2675 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	8.80	4.79	4.01	(-) 4.24	0.23
6.	33—जनजाति कल्याण 2515—102—2506 परियोजना मुख्यालय	5.66	3.74	1.92	(-) 2.04	0.12
7.	41—जनजाति क्षेत्र उपयोजना 25—अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 2225—02—796—277—0102—6503 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	2.40	0.53	1.87	(-) 1.98	0.11
8.	41—जनजाति क्षेत्र उपयोजना 25—अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 4225—02—796—277—0102—9840 शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण	6.50	4.81	1.69	(-) 1.77	0.08
9.	47—तकनीकी पिक्षा तथा जनसंवित्त नियोजन विभाग 2203—105—0101—2668 पॉलीटेक्निक संस्थायें	12.00	7.34	4.66	(-) 4.87	0.21
10.	55—महिला तथा बाल कल्याण से संबंधित व्यय 2235—02—102—9044 एकीकृत बालविकास योजना	32.47	18.93	13.54	(-) 13.80	0.26
11.	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाराहत पर व्यय 3054—04—337—1467 जिला तथा अन्य सड़कें	6.36	0.04	6.32	(-) 6.36	0.04
12.	64—अनुसूचित जातियों के लिए विषेषांश योजना 19—लोकनिर्माणविभाग 4210—02—789—104—0103—5056 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	2.44	0.45	1.99	(-) 2.02	0.03
13.	78—ग्रामीण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें	2.85	2.51	0.34	(-) 1.00	0.66

(स) बचत होने पर भी पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के अनावश्यक आवर्धन के कुछ प्रकरण निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपये में)						
संक्ष.	मांग संख्या तथा लेखा शीर्ष	मूल + पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग /अभ्यर्पण	अन्तिम बचत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	41—जनजाति क्षेत्र उपयोजना 22—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 2505—01—796—701—0702—6503 रोजगार आव्यासन योजना	4.98	3.89	1.09	(-) 1.18	2.27

परिशिष्ट-XII
(पृष्ठ 26 पर कड़िका 2.3.10 (अ)में संदर्भित)
बजट प्रावधान का व्ययगमन

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मांग संख्या	मांग/विनियोजन का नाम	कुल उपलब्ध बचत	अनाम्परित राशि (कुल बचत का प्रतिष्ठत)
1.	2.	3.	4.	5.
(अ) राजस्व—(दत्तमत)				
1.	03	पुलिस	44.48	39.18 (88.1)
2.	07	वाणीज्यकर विभाग से संबंधित व्यय	33.68	30.95 (91.9)
3.	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	10.08	10.08 (100)
4.	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	14.36	14.36 (100)
5.	13	कृषि	16.72	16.72 (100)
6.	15	अनुसूचित जातियों के लिये विषेषांक योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	7.22	5.05 (69.9)
7.	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	30.00	30.00 (100)
8.	20	लोक स्वास्थ्य योग्यता	7.52	7.52 (100)
9.	27	शालेय विकास	257.15	257.15 (100)
10.	44	उच्च विकास	11.01	11.01 (100)
11.	47	तकनीकी विकास एवं जनविकास नियोजन विभाग	21.45	12.44 (58)
12..	48	11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रपासन के स्तरोन्नयन के लिये अनुदान	6.46	6.46 (100)
13.	55	महिला तथा बाल कल्याण से संबंधित व्यय	49.34	6.39 (13)
14.	64	अनुसूचित जातियों के लिये विषेष धर्टक योजना	17.92	7.85 (43.8)
15.	79	विकिसा विकास विभाग से संबंधित व्यय	6.55	6.55 (100)
16.	80	त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को आर्थिक सहायता	29.22	28.07 (96.1)
17.	82	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को आर्थिक सहायता	11.90	6.38 (53.6)
		योग (अ)	575.06	498.16 (86.3)
(ब) राजस्व (प्रभारित)				
18.		ब्याज भुगतान एवं ऋणसेवा	150.14	118.86 (79.2)
		योग (ब)	150.14	118.86 (79.2)
(स) पूँजीगत (दत्तमत)				
19.	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	14.87	14.87 (100)
20.	17	सहकारिता	7.86	7.86 (100)
21.	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	8.63	8.63 (100)
22.	24	लोक निर्माण कार्य—सड़क एवं पुल	37.65	37.65 (100)
23.	41	जनजाति क्षेत्र उप योजना	15.72	8.73 (55.6)
24.	42	जनजाति क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़क एवं पुल	7.74	7.74 (100)
25.	48	11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रपासन के स्तरोन्नयन के लिये अनुदान	7.00	7.00 (100)
26.	64	अनुसूचित जातियों के लिये विषेष धर्टक योजना	19.41	8.34 (43)
27.	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	6.20	6.20 (100)
28.	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड़ से सहायता प्राप्त परियोजनायें	12.85	12.85 (100)
		योग (स)	137.93	119.87 (86.9)
द. पूँजीगत (प्रभारित)				
29.		लोक ऋण	1204.52	10.65 (0.9)
		योग (द)	1204.52	10.65 (0.9)
		कुल योग (अ. ब. स. द)	2,067.65	745.54 (36.1)

परिशिष्ट-XIII

(पृष्ठ 27 पर कंडिका 2.3.11 (अ) में संदर्भित)

अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण के प्रकरण

क्र.सं.	मॉग संख्या	मॉग संख्या का नाम	उपलब्ध बचत	अभ्यर्पण की राशि
1.	2.	3.	4.	5.
(अ) राजस्व—(दत्तमद)				
1.	05	जेल	2.57	2.92
2.	32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	4.26	4.61
3.	34	समाज कल्याण	0.25	0.33
4.	41	जनजाति क्षेत्र उपयोजना	13.84	23.96
5.	56	ग्रामांदोग	0.89	2.41
6.	58	प्राकृतिक आपदाओं तथा सूखाराहत पर व्यय	25.98	33.27
7.	78	ग्रामांदोग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त उपयोजनायें	4.64	4.68
		योग (अ)	52.43	72.18
(ब) राजस्व (प्रभारित)				
8.	01	सामान्य प्रधासन	1.23	1.26
(स) यौजीगत (दत्तमत)				
9.	39	खाद्य नागरिक अपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	8.43	9.00
10.	58	प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय	1.60	1.68
		योग (स)	10.03	10.68
		कुल योग (अ) (ब) (स)	63.69	84.12

परिशिष्ट – XIV

(पृष्ठ 27 पर कंडिका 2.3.11 (ब) में संदर्भित)

अविवेकपूर्ण / अवास्तविक अभ्यर्पण के प्रकरण

क्र.सं.	मॉग संख्या	मॉग संख्या का नाम	प्रावधान में अधिक्य	अभ्यर्पित राशि
1.	2.	3.	4.	5.
अ – राजस्व (दत्तमत)				
1.	06	वित्त विभाग से सम्बन्धित व्यय	14.77	1.93
2.	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	4.31	7.32
3.	33	जनजाति कल्याण	64.10	21.60
4.	67	लोक निर्माण कार्यभवन	5.50	0.06
		योग –	88.68	30.91

परिशिष्ट – XV

(पृष्ठ 27 पर कंडिका 2.3.12 में संदर्भित)

बिना बजट प्रावधान के किया गया व्यय

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	मॉग संख्या एवं मॉग का वर्णन	लेखा शीर्ष	विधायिका के अनुमोदन के बिना किया गया व्यय
1.	2.	3.	4.
	अ – राजस्व (दत्तमत)		
1.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071–01–101–9997– उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य हेतु	26278.94
2.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071–01–101–999–संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य हेतु	3444.89
3.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071–01–102–9997– उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य हेतु	1268.94
4.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071–01–102–999– संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य हेतु	151.80
5.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071–01–103–9997– उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य हेतु	0.44
6.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071–01–103–999– संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य हेतु	0.75
7.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071–01–104–9997–उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य हेतु	8570.11
8.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071–01–104–9999– संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य हेतु	1354.98
9.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071–01–105–9997–उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य हेतु	3599.98
10.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071–01–105–9999– संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य हेतु	793.29
11.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071–01–111–9997–उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य हेतु	49.03
12.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071–01–111–999–संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य हेतु	12.42
	योग – (अ)		45525.57
	ब – राजस्व (प्रभारित)		
1.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071–01–101–9997–उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य हेतु	1.29
2.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071–01–106–9997–उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य हेतु	0.10
	योग – (ब)		1.39

	स – पूँजीगत (दत्तमत)		
1.	39 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	4408–01–190–901–घटाया पूँजी लेखों की प्राप्तियाँ और वसूलियाँ	7.39
2.	39 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	4408–01–191–0910–6418 भण्डार गृहों का निर्माण	51.61
3.	39 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	4408–02–191–0101–9914 विपणन सहकारी समितियों एवं पुनर्गठित योजनाओं हेतु अतिरिक्त अंश पूँजी	8.40
योग (स)			67.40
	द – पूँजीगत (प्रभारित)		
1.	लोक ऋण	6004–01–800–3469 महू छावनी में जल आपूर्ति हेतु ऋण	0.36
2.	लोक ऋण	6004–01–800–9484 केन्द्रीय पूल बटालियन	32.50
3.	लोक ऋण	6004–03–800–3944 विजयपुर उर्वरक कांप्लेक्स को जल आपूर्ति हेतु ऋण	14.27
योग – (द)			47.13
कुल योग – (अ + ब + स + द)			45,641.49

परिशिष्ट-XVI

(पृष्ठ 27 पर कंडिका 2.3.13 में संदर्भित)
व्यय आंकड़ों का समाधान न किया जाना

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मांग संख्या	वर्ष के दौरान समाधान न की जाने वाली व्यय राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	2.	3.	4.
1.	2012	01	1.39
2.	2013	04	0.04
3.	2020	07	0.04
4.	2029	08, 32	44.49
5.	2041	36	1.11
6.	2049	C;kt dk Hkqxru	7030.44
7.	2051	01, 32	0.26
8.	2052	01, 02, 06, 08, 29, 32, 65	15.69
9.	2054	32, 48	0.11
10.	2055	01, 03, 10, 32, 48, 64	248.55
11.	2059	01, 67	44.10
12.	2070	03, 04, 06, 08, 11, 21, 32, 36	12.53
13.	2210	15, 18, 19, 20, 32, 41, 48, 61, 64, 67, 79, 80, 82	200.58
14.	2211	19	30.90
15.	2216	21, 41, 64, 67	1.97
16.	2217	01, 21, 22, 48, 53, 69, 81, 83	29.26
17.	2225	15, 32, 33, 41, 49, 64, 66, 67, 77, 82	502.75
18.	2230	11, 18, 41, 47, 64	3.52
19.	2235	01, 02, 04, 06, 15, 29, 32, 35, 64, 80, 81, 82	73.83
20.	2236	41, 64, 80, 82	12.91
21.	2245	58	10.26
22.	2250	51	0.28
23.	2251	01, 32	0.67
24.	2403	32, 67, 80, 82	1.43
25.	2408	39	0.84
26.	2515	15, 33, 58, 67, 80, 82	148.69
27.	2810	12, 41, 64	2.47
28.	2851	11, 41, 56, 80, 82	6.20
29.	3053	24	0.15
30.	3054	24, 42, 58	33.18
31.	3055	36	0.30
32.	3451	31	1.00
33.	3452	32, 37	0.52
34.	5452		
35.	3454	31	5.73
36.	3475	11	0.14
37.	3604	07, 08, 81	132.79
38.	4225	04, 64	32.75
39.	5054	24, 42, 58	39.5
योग	39 मांग संख्या	50	8671.45

परिशिष्ट-XVII
(पृष्ठ 27 पर कंडिका 2.3.14 मे संदर्भित)
मार्च 2002 के दौरान व्यय की अधिकता

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं अनुदान का विवरण	कुल प्रावधान	मार्च 2002 तक कुल व्यय	मार्च 2002 में व्यय	कुल व्यय की तुलना में मार्च मे व्यय का प्रतिष्ठत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	06—वित्त विभाग से सम्बन्धित व्यय	463.87	471.53	248.40	52.7
2.	11—वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	14.84	13.23	7.84	59.3
3.	12—जर्जा विभाग से संबंधित व्यय	114.47	85.23	46.89	55
4.	15—अनुसूचित जातियों के लिए विषेषांक योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	27.06	19.86	10.46	52.9
5.	21—आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	70.00	55.24	27.12	49.1
6.	37—पर्यटन	1.56	0.54	0.35	64.8
7.	39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	36.97	24.88	18.77	75.4
8.	42—जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़क एवं पुल	48.17	40.38	25.64	63.5
9.	43—खेल एवं युवा कल्याण	2.00	1.49	0.78	52.4
10.	46—पिज्जान एवं प्रौद्योगिकी	0.75	0.02	0.02	100
11.	48—11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रशासन के उन्नयन हेतु अनुदान	34.23	20.78	16.95	81.6
12.	51—धार्मिक न्यास एवं धर्मादा	0.32	0.31	0.18	58.1
13.	69—षहरी प्रशासन एवं विकास विभाग—षहरी कल्याण	7.72	5.08	3.83	75.4
14.	78—ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	8.98	4.04	2.31	57.2

परिशिष्ट-XVIII
(पृष्ठ 27 पर कड़िका 2.3.15 में संदर्भित)
पुनर्विनियोग / अभ्यर्पण की त्रुटिपूर्ण संस्थीकृतियां

कं सं.	संस्थीकृतियों की संख्या	अनुदान संख्या	राशि (लाख रुपये में)	अनियमितताओं के विवरण
1.	1	27	1687.33	वेतन एवं मजदूरी शीर्ष से अन्य शीर्ष में पुनर्विनियोग
2.	1	80	1.90	एक अनुदान से दुसरे में पुनर्विनियोग
3.	2	36,44	13.50	पुनर्विनियोजन स्थीकृति के दोनों तरफ के योग का मिलान न होना
4.	1	81	6.24	सक्षम अधिकारी से अभ्यर्पण स्थीकृतियों का प्राप्त न होना ।
5.	9	2,24,42,67,68	1363.58	लेखाओं की समाप्ति एवं निर्णय उपरांत कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) में संस्थीकृतियों का विलंब से प्राप्त होना
6.	1	1	0.24	शीर्ष में निधियों की अनुपलब्धता जिनमें से अभ्यर्पण की संस्थीकृति ली गई थी ।
	योग		3072.79	

परिशिष्ट-XIX
(पुष्ट 34 पर कंडिका 3.1.7 (पप) में संदर्भित)
ठेकेदारों, विभागों तथा निजी अभिकरणों को भुगतान का विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अभिकरण का नाम	राशि	योग
1. मकानों का निर्माण				
(प)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर	वन मंडल अधिकारी बिलासपुर	0.25	
		वन मंडल अधिकारी, कोरबा	0.01	0.26
2. स्वच्छ शौचालय				
(प)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला परिषद, अंबिकापुर	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, अंबिकापुर	0.22	
(पप)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला परिषद, बिलासपुर	मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, ग्वालियर	0.06	0.28
3. धुआंरहित कूलें				
(प)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला परिषद, बिलासपुर	सी आर ई डी ए, बिलासपुर	0.02	
(पप)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजनांदगांव	ए ओ एम पी एफ डी सी, रायपुर	0.02	0.04
4. हैंड पंप				
(प)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अंबिकापुर	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, अंबिकापुर	1.93	
(पप)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बिलासपुर	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बिलासपुर	0.72	
		मैसर्स जे. पी. अग्रवाल	0.02	
		मैसर्स टूबा एक्या प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल	0.04	
		मैसर्स सिद्धार्थ ट्यूबवैल लिमिटेड, भोपाल	0.10	
		मैसर्स एसटीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड	0.03	
		मैसर्स सोना इन्टर प्राइजेज, छतरपुर	0.05	
(पपप)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कांकेर	0.02	
(पअ)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राजनांदगांव	0.01	2.92
5. विद्युतीकरण				
(प)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बिलासपुर	म.प्र. विद्युत बोर्ड, बिलासपुर	0.25	
(पप)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कांकेर	म.प्र. विद्युत बोर्ड, कांकेर	0.13	
(पपप)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव	म.प्र. विद्युत बोर्ड, राजनांदगांव	0.04	0.42
6. अधोसंचाना विकास				
(प)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	1.65	
		मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (खरंजा निर्माण)	0.09	
(पप)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	0.35	
(पपप)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, (खरंजा निर्माण)	0.14	2.23
	योग			6.15

परिशेष-XX
(पृष्ठ 90 पर कंडिका 4.1.6 (अ) (पप) में संदर्भित)
आबंटन/साखपत्र/प्रतिभूति जमा की वापसी के आधिक्य को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	संभाग का नाम	वर्ष	आयोजनेतर						योजना			बजटेतर जमानत जमा की वापसी		
			आबंटन	व्यय	आबंटन से आधिक्य	साखपत्र	जारी धनादेष	साखपत्र से आधिक्य	साखपत्र	जारी धनादेष	साखपत्र से आधिक्य	साखपत्र	धनादेष	आबंटन से आधिक्य
1.	वि/यां रायपुर	1998-99	265.00	288.69	23.69	215.59	231.64	16.05	-	-	-	-	-	-
		2000-2001 11/00 से 3/01 तक	249.06	273.68	24.62	249.06	250.16	1.10	-	-	-	-	-	-
2.	वि/यां बिलासपुर	1998-99	329.27	539.58	210.31	324.35	367.90	43.55	37.11	45.84	8.73	-	-	-
		1999-2000	-	-	-	165.49	185.48	19.99	18.05	28.70	10.65	-	-	-
		2000-2001 4/00 से 10/00 तक	-	-	-	52.24	61.04	8.80	-	-	-	-	-	-
		2000-2001 11/00 से 3/01 तक	140.95	148.14	7.19	129.93	133.56	3.63	-	-	-	-	-	-
3.	भवन/सड़क बिलासपुर	1998-99	534.21	765.17	230.96	508.95	535.71	26.86	42.50	51.26	8.76	-	-	-
		1999-2000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.97	21.45	10.48	-
		2000-2001(4/00 से 10/00)	272.24	281.96	9.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	भवन/सड़क मनेंद्रगढ़	1998-99	251.05	448.65	197.60	239.58	282.68	43.10	-	-	-	-	-	-
		1999-2000	-	-	-	104.27	127.16	22.89	-	-	-	5.40	24.12	18.72
		2000-2001	-	-	-	-	-	-	-	-	63.35	70.88	7.53	-
5.	भवन/सड़क अंबिकापुर	1998-99	340.07	498.72	158.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1999-2000	312.90	321.10	8.20	-	-	-	31.84	35.13	3.29	-	-	-
		2000-2001 11/00 से 3/01 तक	243.59	258.15	14.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	भवन/सड़क रायगढ़	1998-99	475.45	598.47	123.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1999-2000	284.21	287.05	2.84	215.16	219.77	4.17	-	-	-	2.55	14.39	11.84
		2000-2001 11/2000 से 3/2001 तक	205.33	233.68	28.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2001-02	691.15	822.29	131.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.	भवन/सड़क जगदलपुर	1998-99	290.57	445.16	154.59	381.42	399.40	17.98	-	-	-	-	-	-
		1999-2000	-	-	-	-	-	-	15.31	30.43	15.12	-	-	-
		4 / 2000 से 10 / 2000	-	-	-	140.54	142.27	1.73	-	-	-	-	-	-
		11 / 2000 से 3 / 2001 तक	117.97	122.51	4.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2001-2002	331.25	377.71	46.46	356.25	357.54	1.29	-	-	-	-	-	-
8.	भवन/सड़क बीजापुर	1998-99	-	-	-	148.89	151.89	3.00	104.25	117.38	13.13	-	-	-
		1999-2000	-	-	-	113.92	115.41	1.49	-	-	-	-	-	-
		2000-01 4 / 00 से 10 / 2000 तक	-	-	-	65.58	72.08	6.50	-	-	-	-	-	-
9.	भवन/सड़क कोरबा	1998-99	396.34	457.20	60.86	-	-	-	-	-	24.75	32.70	7.95	-
		2001-2002	379.30	462.27	82.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग		6110.30	7630.18	1519.87	3411.56	3633.69	222.13	249.06	308.74	59.68	107.02	163.54	56.52

परिशिष्ट-XXI
(पृष्ठ 93 पर कोंडिका 4.1.8 में संदर्भित)
स्वीकृत पदों से अधिक नियमित कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति

क्र.सं.	पद	स्वीकृत अमला			कार्यरत अमला			अधिक कार्यरत अमला			अधिक व्यय (लाख रुपये में)		
		1999-0 0	2000-0 1	2001-0 2	1999-0 0	2000-0 1	2001-0 2	1999-0 0	2000-0 1	2001-0 2	1999-0 0	2000-0 1	2001-0 2
1	अधीक्षण यंत्री	4	—	15	6	—	17	2	—	2	3.95	—	—
2	मुख्य मानविकार	—	—	2	—	—	5	—	—	3	—	—	2.61
3	मानविकार	35	—	—	37	—	—	2	—	—	1.64	—	—
4	कार्यालय अधीक्षक (मंडल)	2	—	—	5	—	—	3	—	—	2.47	—	—
5	सहायक ग्रेड-१	6	—	—	7	—	—	1	—	—	0.78	—	—
6	सहायक ग्रेड-२	275	270	270	285	354	352	10	84	82	6.96	45.24	39.67
7	सहायक ग्रेड-३	536	677	677	587	755	755	51	78	78	27.06	41.39	41.39
8	उपयंत्री	—	703	703	—	752	752	—	49	49	—	8.03	8.03
9	सहायक मानविकार	—	150	150	—	162	162	—	12	12	—	7.66	7.66
10	दफतरी	—	19	19	—	30	30	—	11	11	—	5.62	5.62
11	भूत्य	—	477	477	—	501	501	—	24	24	—	10.65	10.65
	गोग	—						69	258	261	42.86	118.59	115.63

परिशिष्ट-XXII

(पृष्ठ क्रमांक 138, 139 एवं 140 पर कांडिका 7.1.1.1, 7.1.2.2 एवं 7.1.2.4 में संदर्भित)

31मार्च 2002 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों को बजट से परे प्राप्त पूँजी, ऋणों/इकियटी, अन्य ऋणों एवं बकाया ऋणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(स्तम्भ 3(अ) से 4(फ) में दर्शाये गये ऑकड़े लाख रुपयों में)

	सेक्टर एवं कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अंत तक प्रदत्त पूँजी						वर्ष के दौरान बजट से अधिक प्राप्त इकियटी/ऋण	वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण/	2001-02 हेतु दूबन्त इकियटी अनुपात (गत वर्ष) 4 एफ/3ई		
		राज्य शासन	केन्द्रीय शासन	धारित कंपनी	अन्य	कुल	इकियटी			शासन	अन्य	कुल
1	2	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	3 (इ)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	4 (इ)	4 (फ)
(क)	शासकीय कंपनियों											
	कार्यरत											
(अ)	औद्योगिक											
1	छत्तीसगढ़ राज्य बैंकरेजेस निगम मर्यादित	14.54	—	—	—	14.54	—	—	—	—	—	—
	योग (अ)	14.54	—	—	—	14.54	—	—	—	—	—	—
(ब)	वन											
2	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का विभाजन नहीं होने के कारण जानकारी उपलब्ध नहीं										
	योग (ब)											
(स)	खनन											
3	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम मर्यादित	55.00				55.00	55.00					
	योग (स)	55.00				55.00	55.00					
(द)	सार्वजनिक वितरण											
4	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित	90.00	—	—	—	90.00	90.00	100.00	—	100.00	—	100.00
	योग (द)	90.00	—	—	—	90.00	90.00	100.00	—	100.00	—	100.00

@ बॉड डिवेन्चरों, अन्तर्राष्ट्रीय जमा इत्यादि समिलित

“ 2001-2002 की समाप्ति पर बकाया ऋण दीर्घकालीन अवधि के ऋणों को ही दर्शाते हैं।

टीप :- आंकड़े अनन्तिम हैं तथा कम्पनियों/निगमों द्वारा यथा अग्रेषित।

1	2	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	3 (इ)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	4 (इ)	4 (घ)	5
इ	वित्त												
5	छत्तीसगढ़ बुनियादी संरचना विकास निगम मर्यादित	120.00	—	—	—	120.00	100.00	—	—	—	—	—	—
6	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	160.00	—	—	—	160.00	—	—	—	—	—	—	—
	योग (इ)	280.00	—	—	—	280.00	100.00	—	—	—	—	—	—
	योग (अ)	439.54	—	—	—	439.54[#]	245.00	100	—	100.00	—	100.00	0.23:00
ब	सांविधिक निगम												
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का विभाजन नहीं होने के कारण जानकारी उपलब्ध नहीं है।											
	योग (ब)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	महायोग (अ+ब)	439.54	—	—	—	439.54	254.00	100	—	100.00	—	100.00	0.23:1

[#] शेयर आवेदन राशि के 100 लाख रुपये सहित।

परिशिष्ट—XXIII

(पृष्ठ संख्या 138 पर कांडिका 7.1.1.1 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अंतिम वर्ष जिसके लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया है, का सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

स.क.	कम्पनी का नाम एवं विभाग	विभाग का नाम	गठन करने की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को निर्णीत किया गया	शुद्ध लाभ (+) / हानि (-)	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	भुगतान की पूँजी	संचित लाभ (+) / हानि (-)	नियोजित पूँजी (अ)	नियोजित पूँजी से प्राप्त कुल आय (ब)	नियोजित पूँजी से प्राप्त कुल आय का प्रतिशत	लेखाओं का बकाया वर्षों में	टर्नओवर	जनशक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	शासकीय कम्पनियां														
	अ														
	कार्यरत														
	(अ) उद्योग														
	1.	छत्तीसगढ़ राज्य बैंकरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	उत्पादन शुल्क	16.11.2001	—	—	—	—	14.54	—	—	—	—	—	06
	योग (अ)				—	—	—	—	14.54	—	—	—	—	—	06
	(ब) वन														
	2	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित	वन	22.05.2001										1548.15	654
	योग (ब)				—	—	—	—	—	—	—	—	—	1548.15	654
	(स) खनिज														
	3	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम मर्यादित	भू—गर्भ एवं खनिज	7.6.2001				55.00						403.13	246
	योग (स)							55.00						403.13	246
	(द) सार्वजनिक वितरण														
	4	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	खादय एवं नागरिक आपूर्तियां	13.3.2001				90.00							270
	योग (द)							90.00							270

(इ)	वित्त													
5	छत्तीसगढ़ बुनियादी संरचना विकास निगम मर्यादित	वित्त	26.2.2001					120.00						06
6	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	वाणिज्य उद्योग	17.4.2001					160.00						155
	योग (इ)							280.00						161
	योग (अ)							439.54						
ब	सांविधिक निगम													
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	उर्जा	15.4.2001											
	योग (ब)													
	सकल योग (अ+ब)							439.54						

- (अ) नियोजित पूँजी दर्शाती है शुद्ध स्थायी परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत वर्क इन प्रोग्रेस सहित) तथा कार्यशील पूँजी वित्तीय कम्पनियों/निगमों के प्रकरणों को छोड़कर जहां नियोजित पूँजी का निर्धारण प्रदत्त पूँजी की रिजर्व, बन्धक पत्र, निक्षेप एवं उधार निधियाँ (पुनःवित्त पोषण सहित) के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष के योग का मध्यमान होता है।
- (ब) नियोजित पूँजी से प्राप्त आय दर्शाती है शुद्ध अधिक्य या शुद्ध हानि, घटाये उधार ली गयी निधियों पर व्याज, लाभ एवम् हानि खाते में प्रभारित की गयी है।

परिशिष्ट—XXIV

(पृष्ठ 138 एवं 140 पर कांडिका 7.1.1. एवं 7.1.2.4 में संदर्भित)

वर्ष के दौरान प्राप्त प्राप्त अनुदान प्राप्त गारन्टीयों, देनदारियों का अधित्याग, ऋण जिन पर ऋण स्थगन दिया गया एवं इक्विटी में ऋणों का परिवर्तन एवं मार्च 2002 के अंत में प्राप्त अनुदान एवं लंबित गारन्टीयों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(स्तम्भ 3(अ) से 7 तक में दर्शाये गये ऑकड़े लाख रुपयों में)

क्रम संख्या ।	सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता एवं अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त एवं वर्ष के अंत में बकाया गारंटियां					वर्ष के दौरान बकाया का अधित्याग				ऋणों जिन पर मोहल्लें अनुमत्य की गई	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ऋण	
		केंद्रीय शासन	राज्य शासन	अन्य	कुल	बैंक से नकद साख	अन्य श्रेत्रों से प्राप्त ऋण	आयातों के संबंध में बैंकों द्वारा खोले गये साखपत्र	विदेशी परामर्शदाताओं या ठेकेदारों के साथ अनुबंधों के अंतर्गत भुगतान की बाध्यता	कुल	ऋणों की वापिसी का अपलेखन	व्याज का अधित्याग	दण्डात्मक व्याज का अधित्याग	कुल			
1	2	3 अ	3 ब	3 स	3 द	4 अ	4 ब	4 स	4 द	4 ई	5 अ	5 ब	5 स	5 द	6	7	
क	कार्यरत शासकीय कंपनियां																
अ	सार्वजनिक वितरण																
1	छत्तीसगढ़ राज्य सिविल आपूर्ति निगम मर्यादित	—	347.45 (377.78)		347.45 (377.78)												
	योग (अ)		347.45 (377.78)		347.45 (377.78)												
ब	वित्त																
2	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम	200.00	311.08	—	511.08												
	योग (ब)	200.00	311.18		511.08												
	योग (क)	200.00	658.53 (377.78)		858.53 (377.78)												

* कालम 3(अ) से 3(द) के अंतर्गत कोष्ठक में आंकड़े अनुदानों को दर्शाता है एवं कालम 4(अ) से 4(इ) वर्ष के अन्त में बकाया गारंटियों को दर्शाता है

परिशिष्ट—XXV

(पृष्ठ 141 पर कंडिका 7.1.3 में संदर्भित)

विभागवार प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं का विवरण जिनका उत्तर प्रतीक्षित है

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिकाओं की संख्या	जारी होने की अवधि
1	उर्जा	1	अप्रैल 2002
2	वित्त	1	सितम्बर 2002
	योग	2	—